

कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी  
स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.

निविदा



2019–2020

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्ध संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय / गांधी स्मारक चिकित्सालय में स्थापित मेडिकल गैस पाईपलाईन (मैनीफोल्ड, आउटलेट, सक्शन सहित) के वार्षिक संचालन एवं संधारण हेतु ए.एम. सी. / सी.एम.सी. तथा सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में स्थापित मेडिकल गैस पाईपलाईन (मैनीफोल्ड, आउटलेट, सक्शन सहित) के संचालन हेतु ई-निविदा

(द्वितीय आमंत्रण)

कीमत रू. 3000 /-  
(रूपये तीन हजार मात्र)

## **ONLINE TENDER SCHEDULE**

**ई-निविदा विज्ञप्ति क्र.-12 / 2019-20**

SEQ NO	SCHEDULE	START DATE & TIME	EXPIRY DATE & TIME	ENVELOPES
1	PURCHASE OF TENDER ONLINE	07-09-2019 11.00 AM	21-09-2019 5.00 PM	ENVELOPE A, ENVELOPE B
2	BID SUBMISSION ONLINE	07-09-2019 11.00 AM	21-09-2019 5.00 PM	
3	PHYSICAL SUBMISSION OF BID DOCUMENT	07-09-2019 11.00 AM	23-09-2019 5.00 PM	ENVELOPE A, ENVELOPE B
4	MANDATORY SUBMISSION OPEN	24-09-2019 12.30 PM	-	ENVELOPE A
5	TECHNICAL PROPOSAL OPEN	24-09-2019 12.35 PM	-	ENVELOPE B
6	FINANCIAL BID OPEN	पृथक से सूचना दी जावेगी।	-	

निविदा में मांगे गए दस्तावेजों की हार्ड कापी 23.09.2019 को सायंकाल 05.00 बजे तक स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक/स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित होकर कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र. 486001 में जमा करे। पोस्टल विलम्ब के लिए कार्यालय किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

ई-मेल:- [jdsupdtgmhrewa@rediffmail.com](mailto:jdsupdtgmhrewa@rediffmail.com), Fax-07662-242104

संपर्क:- 07662-242104,+91-9179705483,+91-9074466110

**निविदा प्रस्तुत करने संबंधी सामान्य निर्देश:-**

1. प्रत्येक निविदादाता को निविदा के रूप में 02 सीलड लिफाफे ए एवं बी एक बड़े आउटर लिफाफे सी में सीलड कर प्रस्तुत करने होंगे।

### लिफाफा ए में रखे जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की सूची:-

1. धरोहर राशि रूपये 100000/- (एक लाख मात्र) ऑनलाईन जमा। (सभी ऑनलाईन पेमेंट की रसीद की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

### लिफाफा बी में रखे जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की सूची:-

1. मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित (Online purchased)
2. फर्म/संस्था के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।
3. वित्तीय वर्ष, 2016-17 एवं 17-18 (एसेसमेंट ईयर 17-18 एवं 18-19) का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति)
4. नोटरी द्वारा सत्यापित किसी भी प्रकार का कर बकाया न होने का मूल शपथ-पत्र।
5. 100 रु. के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित घोषणा पत्र (मूल प्रति) नोटरीज्ड
6. पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।
7. वार्षिक टर्न ओवर संबंधी प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा जारी। (रु 15.00 लाख वार्षिक से कम नहीं होना चाहिये वर्ष 2017-18)
8. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।
9. शासकीय/अर्ध-शासकीय/कार्पोरेट चिकित्सालयों में मेडिकल गैस पाईपलाईन संबंधी कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र।

### चिकित्सालय में स्थापित मेडिकल गैस पाईपलाईन(मैनीफोल्ड आउटलेट सक्शन सहित) के वार्षिक संधारण के ए.एम.सी./सी.एम.सी. हेतु नियम एवं शर्तें

1. संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/गांधी स्मारक चिकित्सालय में स्थापित मेडिकल गैस पाईपलाईन (मैनीफोल्ड, आउटलेट, सक्शन सहित) के वार्षिक संचालन एवं संधारण हेतु ए.एम.सी./सी.एम.सी. तथा सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में स्थापित मेडिकल गैस पाईपलाईन (मैनीफोल्ड, आउटलेट, सक्शन सहित) के संचालन हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट <https://mptenders.gov.in/> पर आनलाईन भुगतान कर क्रय किये जा सकेंगे। इसे चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की वेबसाइट <http://www.ssmcrewa.com> में भी देखा जा सकेगा।
2. आनलाईन निविदा जमा करने की निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जावेगी। आनलाईन निविदा फार्म क्रय करने का मूल्य रु. 3000.00 (तीन हजार मात्र) निर्धारित हैं यह राशि किसी भी दशा में वापसी योग्य नहीं है।
3. निविदा के साथ अमानती राशि रूपये 100000/- (एक लाख मात्र) ऑनलाईन जमा करनी होगी। अमानत राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
4. प्राइस बिड केवल ऑनलाईन ही भरी जावे तथा भारतीय मुद्रा में ही स्वीकार्य होगी।
5. कृपया प्राइस बिड भरने के पहले समस्त दस्तावेज एवं स्पेशिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ एवं समझ लें, उसके पश्चात ही निविदा भरें।
6. निविदाकार को ऑनलाईन क्रय किए हुए निविदा प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न कागजातों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर कर सील लगाकर प्रस्तुत करना होगा।

7. चिकित्सालय की क्रय समिति को किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अमान्य करने का अधिकार होगा।
8. सामान्यतः न्यूनतम मूल्य दर की निविदा को स्वीकार किया जावेगा, तथापि क्रय समिति शासनहित/जनहित में समग्र रूप से विचार करते हुये अन्यथा निर्णय लेने हेतु अधिकार सम्पन्न होगी।
9. शासकीय/अर्ध-शासकीय/कार्पोरेट चिकित्सालयों में मेडिकल गैस पाईपलाईन संबंधी कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र की पुष्टि हेतु जारी कार्यादेश की सत्यापित छायाप्रति भी लगाना अनिवार्य होगा।
10. स्पेयर पार्ट्स जो बदले जायेंगे वह ओरिजिनल/सुपीरियर क्वालिटी के लगाना होगा।
11. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत कोई भी शर्त स्वीकार नहीं की जावेगी।
12. इच्छुक निविदाकार निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व डा. सुधाकर द्विवेदी, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष निश्चेतना विभाग से मोबाईल नं. 9425194546 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं साथ ही स्थापित गैस पाईपलाइन का निरीक्षण भी कर सकते हैं।
13. निविदा स्वीकृत होकर कार्य हेतु आदेशित करने पर कार्य न करने की दशा में अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी तथा भविष्य के लिए निविदा हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।
14. भारत शासन/मध्यप्रदेश शासन द्वारा लागू श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
15. जिस निविदाकार की ए.एम.सी हेतु निविदा स्वीकार की जावेगी उसी को आवश्यक स्पेयर पार्ट्स भी लगाने होंगे।
16. सफल निविदाकार को श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/गांधी स्मारक चिकित्सालय में स्थापित मेडिकल गैस पाईपलाईन (मैनीफोल्ड, आउटलेट, सक्शन सहित) के वार्षिक संचालन, संधारण के ए.एम.सी./सी.एम.सी. तथा सुपर. स्पेशलिटी अस्पताल में स्थापित मेडिकल गैस पाईपलाईन (मैनीफोल्ड, आउटलेट, सक्शन सहित) के 24 घंटे संचालन हेतु योग्यताधारी कुशल एवं अनुभवी स्टाफ की व्यवस्था स्वयं करनी होगी जिसका पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा। रखे गए स्टाफ की समस्त जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।
17. सफल निविदाकार को एस.जी.एम.एच/जी.एम.एच तथा सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में स्थापित मेडिकल गैस पाईपलाईन को अनवरत (24x7) चालू हालत में रखना अनिवार्य होगा।
18. मेडिकल गैस पाईपलाईन(मैनीफोल्ड आउटलेट सक्शन सहित) में आई खराबी को अतिशीघ्र सुधरवाने की जिम्मेदारी निविदाकार को होगी तथा इस हेतु अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
19. **Annual Maintainace contract** की स्थिति में पाईपलाईन में आई खराबी की मरम्मत हेतु जो पार्ट्स बदले जावेंगे उसका भुगतान इस संस्था द्वारा किया जावेगा, किंतु **Annual Comprehensive Maintainace contract** में संपूर्ण व्यय निविदाकार को वहन करना होगा।
20. सफल निविदाकार को **Annual operational Maintainace contract/ annual operational Comprehensive Maintainace contract** का मासिक भुगतान देयक हेतु प्रस्तुत करने पर विभागाध्यक्ष निश्चेतना विभाग से कार्य संतोषजनक का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही किया जावेगा।

21. स्वीकृत निविदा, स्वीकृति की तिथि से सामान्यतः 01 वर्ष की समयावधि तक के लिये होगी । कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अनुबंध की अवधि उसी दर पर आगामी वर्षों हेतु बढ़ाई भी जा सकती है।
22. स्वीकृत निविदा प्रभावशील रहने की अवधि में जनहित की आवश्यकता के अनुरूप निविदा के निबंधन एवं शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार चिकित्सालय की क्रय समिति के पास सुरक्षित है।
23. निविदा के अनुमोदित होने के उपरान्त निविदाकार द्वारा कार्य में कोई हीला-हवाली या टाल-मटोल करके विलम्ब किया जाता है तो जमा अमानत राशि रु. 100000.00 (एक लाख मात्र) राजसात कर ली जावेगी तथा भविष्य के लिए निविदा भरने से वंचित कर दिया जावेगा।
24. सफल निविदाकार को कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व रु. 1000/- के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर 15 दिवस के भीतर उपरोक्त शर्तों के अधीन अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा एवं अनुबंध निष्पादन पश्चात तत्काल कार्य प्रारम्भ करना होगा।
25. ए.एम.सी. की स्थिति में मेंटेनेंस हेतु लगने वाली एसेसरीज एवं कंज्यूमेबल की आयटमवाईज दरें सील्ड लिफाफे में तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत करें। लिफाफे के उपर एसेसरीज/कंज्यूमेबल आयटम की दर सूची का उल्लेख अवश्यक करें।
26. निविदाकार को श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
27. निविदा के सम्बन्ध में न्यायिक विवाद रीवा स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होगा।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक  
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा (म.प्र.)

## तकनीकी बिड हेतु प्रपत्र:- बी

(पूर्ण रूप से भर कर एवं हस्ताक्षरित कर लिफाफे को सील बंद करें एवं लिफाफे पर प्रपत्र बी स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें)

निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

स. क्र.	तकनीकी मापदण्ड हेतु अनिवार्य दस्तावेज	निविदाकार के द्वारा टिक किया जावे।		परीक्षण समिति द्वारा टिक किया जावे।	
		पृष्ठ क्र. दर्शाये			
		हां	नहीं	हां	नहीं
1.	धरोहर राशि रूपये 100000 /- (एक लाख मात्र) ऑनलाईन जमा। (सभी ऑनलाईन पेमेंट की रसीद की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।				
2.	मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित (Online purchased)				
3.	फर्म/संस्था के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।				
4.	वित्तीय वर्ष, 2016-17 एवं 17-18 (एसेसमेंट ईयर 17-18 एवं 18-19) का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति)				
5.	नोटरी द्वारा सत्यापित किसी भी प्रकार का कर बकाया न होने का मूल शपथ-पत्र।				
6.	100 रु. के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित घोषणा पत्र (मूल प्रति) नोटराईज्ड				
7.	पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।				
8.	वार्षिक टर्न ओवर संबंधी प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा जारी। (रु 15.00 लाख वार्षिक से कम नहीं होना चाहिये वर्ष 2017-18)				
9.	जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।				
10.	शासकीय/अर्ध-शासकीय/कार्पोरेट चिकित्सालयों में मेडिकल गैस पाईपलाईन संबंधी कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र।				

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर .....

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख का नाम .....

(स्पष्ट अक्षरो)

## घोषणा पत्र (शपथ पत्र)

(100/-रूपये के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाये )

1. मैं/हम भारत का/के नागरिक हूँ/है।
2. मैं/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार निविदा कार्य के लिए सक्षम हूँ/हैं।
3. मुझे/हमें म.प्र. शासन के किसी भी विभाग द्वारा निविदाकार्य से बहिष्कृत नहीं किया गया है।
4. मैं/हम किसी ऐसे कान्ट्रेक्टर, जो कि म.प्र. शासन के किसी विभाग द्वारा बहिष्कृत किया गया हो, न तो अभिकर्ता हूँ/है और न ही उसके लिये कार्य करता हूँ/करते है।
5. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तों के अलावा अन्य कोई शर्तें प्रस्तुत नही की गयी है। यदि अन्य कोई शर्तें प्रस्तुत की गयी है, तो उसे अमान्य माना जाये।
6. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के किसी अधिकारी/कर्मचारी से संबंध नहीं है।
7. मेरे/हमारे द्वारा इस निविदा में भरी मूल्य दर से कम मूल्य दर की निविदा मध्यप्रदेश राज्य के किसी संस्था या कार्यालय में प्रस्तुत नही की गई है।
8. मेरे/हमारे द्वारा मेडिकल गैस पाईपलाईन में जो स्पेयर पार्ट्स आवश्यकतानुसार लगाए जावेंगे वे सभी ओरिजिनल होंगें।
9. मेरे/हमारे उपर राज्य/केन्द्र सरकार को देय किसी भी प्रकार का कर बकाया नही है।
10. मेरी/हमारी संस्था के विरुद्ध न तो एफ.आई.आर. दर्ज है और न ही किसी सक्षम न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है और न ही सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध घोषित किया गया है।
11. मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी सही है। असत्य पाये जाने पर मेरे विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही के किए जाने पर मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा।

गवाह के हस्ताक्षर

निविदाकार के हस्ताक्षर

1. गवाह का नाम.....

संस्था के समक्ष अधिकारी का नाम.....

व पता.....

पता.....

2. गवाह का नाम.....

संस्था का नाम एवं पता.....

.....व पता .....

.....

## प्रार्इस बड केवल ऑनलाईन भरी जावे ।

dk	dk; l	nj	th, l -Vh %
1-	संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/गांधी स्मारक चिकित्सालय में स्थापित मेडिकल गैस पाईपलाईन (मैनीफोल्ड, आउटलेट, सक्शन सहित) के वार्षिक संचालन एवं संधारण के ए.एम.सी. हेतु राशि (Operation & AMC)		
2-	संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/गांधी स्मारक चिकित्सालय में स्थापित मेडिकल गैस पाईपलाईन (मैनीफोल्ड, आउटलेट, सक्शन सहित) के वार्षिक संचालन एवं संधारण के सी.एम.सी. हेतु राशि (Operation & CMC)		
3-	सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में स्थापित मेडिकल गैस पाईपलाईन (मैनीफोल्ड, आउटलेट, सक्शन सहित) के वार्षिक संचालन (Operation) हेतु राशि		

fufonkdrk@l sknrk ds gLrk{kj  
uke ,oa iwz irk  
l lFkk dh l hy